

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—ई—20 / M-13/nursing/ajmer/-25485 / 2024 / 94

दिनांक :- 27-02-2024

### आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2979/2024 राजेन्द्र प्रसाद जाट, नर्सिंग ऑफीसर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2024 की पालना में याचिकाकर्ता का एम0एस0सी0 नर्सिंग सत्र 2023-24 कोर्स हेतु चयन होने पर आवंटित कॉलेज में कार्यग्रहण/प्रशिक्षण के संबंध में मा. न्यायालय के पारित निर्णय में होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन निम्नांकित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	आवंटित कॉलेज	कोर्स का नाम
1	राजेन्द्र प्रसाद जाट	नर्सिंग अधिकारी	एस.एम.एस. जयपुर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जेएलएन मार्ग, एसएमएस, जयपुर	एम.एस.सी

शर्तें:—

- संबंधित कार्मिक का आवेदन सक्षम स्तर से आरयूएचएस को अग्रेषित किया गया हो।
- कार्मिक को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवाना होगा। उच्च अध्ययन / तकनीकी / प्रशिक्षण / पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक दिनांक 22.12.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जाये।
- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरन्त निदेशालय में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति / वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
- उक्त प्रशिक्षण हेतु राजस्थान सेवा नियम 110-112 के अनुसार पूर्व में जिन कार्मिकों का राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुये पोस्ट बीएसी / एमएससी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हें पोस्ट बेसिक बीएससी / एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित / अर्द्धवैतनिक / असाधारण) पर प्रशिक्षण करना होगा एवं चयनित कर्मियों द्वारा आवश्यक शपथ पत्र दिये जाने पर ही प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।
- राजस्थान सेवा नियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20 / M-13/nursing/ajmer/-25485 / 2024 / 94

दिनांक :- 27-2-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर ।
3. श्री भुवनेश शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता राज. उच्च न्यायालय, जयपुर ।
3. उप विधि परामर्शी मुख्यालय ।
4. डा. मनोज शर्मा, समन्वयक राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ।
5. संबंधित राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।
6. प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर ।
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद जाट(याचिकाकर्ता) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे ।
9. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर